



शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
MINISTRY OF EDUCATION
Department of School Education & Literacy



समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

विद्यालय प्रबन्धन समिति हेतु दिशानिर्देश (एसएमसी)



विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(मई 2026)

मई 2026

पीडी 0.5 एच बीएस

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 2026

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविन्द मार्ग,
नई दिल्ली - 110016 आ मुद्रित नारायण प्रिंटर्स एण्ड बाइंडर्स, डी-177-178, सेक्टर-63, नोएडा
(उत्तर प्रदेश) 201301



शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
MINISTRY OF EDUCATION
Department of School Education & Literacy



समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

विद्यालय प्रबन्धन समिति हेतु दिशानिर्देश (एसएमसी)

विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(मई 2026)



संदेश

हमरा ई जानि खुशी भेल जे विद्यालय शिक्षा आ साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय समावेशी शिक्षा के बढ़ावा दैत अछि , सहभागी विद्यालय विकास योजना के समर्थन करय, आ विद्यालय, अभिभावक, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य विभाग आ समुदाय के बीच सहयोग के मजबूत करै मे एसएमसी के भूमिका आ जिम्मेदारिकेँ चित्रित करै लेल एक व्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशानिर्देश, 2026 बना रहल अछि ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 शिक्षाकेँ सरकार, विद्यालय, अभिभावक आ समुदायक साझा उत्तरदायित्वक रूपमे मान्यता दैत अछि । एनईपी-2020 एहि बात पर प्रकाश दैत अछि , जे छात्र के सीखने, कल्याण, आ विद्यालयक जवाबदेही में सुधार के लेल सार्थक माता-पिता आ सामुदायिक भागीदारी सेहो आवश्यक अछि -विशेष रूप सँ वंचित आ कम प्रतिनिधित्व वर्गक बच्चा सभक लेल । सशक्त आ सुव्यवस्थित एसएमसी, हमर दृढ़ विश्वास अछि, समावेशी, सहायक, आ प्रभावी शिक्षण वातावरणक निर्माणमे बहुत दूर तक चलैत अछि ।

विकसित भारत @2047 क लेल माननीय प्रधानमन्त्री के दृष्टिकोण शिक्षा के राष्ट्र निर्माण आ लोक भागीदारी के शासन के मूल में स्थान दैत अछि । एक मजबूत, समावेशी आ आत्मनिर्भर भारतक निर्माण तखनि भऽ सकैत अछि जखन प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे आ समुदाय सक्रिय रूप सँ अपन विद्यालय के भविष्य के आकार देबय मे सेहो भाग ले । एहि सन्दर्भ मे एसएमसी जमीनी स्तर पर विद्यालयीशिक्षा के मजबूत करै मे महत्वपूर्ण भूमिका निभबैत अछि । माता-पिता, शिक्षक, आ सामुदायिक सदस्यसभ के एक साथ लाकर, एसएमसी सीखै के परिणाम में सुधार, जवाबदेही सुनिश्चित करै, आ समानता के बढ़ावा देबे लेल विद्यालयक समर्थन सेहो करै छै । विद्यालय योजना आ निर्णय लेबय मे हुनकर भागीदारी विद्यालय के स्थानीय जरूरत के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया लेल सेहो मदद करै छै आर समुदाय के भीतर स्वामित्व आर विश्वास के मजबूत भावना पैदा करै छै ।

2047 क विकास भारत दिस याला सक्षम आत्मविश्वास आ जिम्मेदार नागरिकक पालन-पोषण पर निर्भर करैत अछि । सक्रिय आ सशक्त एसएमसी द्वारा समर्थित मजबूत विद्यालय एहि राष्ट्रीय लक्ष्य के प्राप्त करै लेल मौलिक अछि । जमीनी स्तर पर विद्यालय शासन के मजबूत कए हम अपन बच्चासभ के भविष्य आ भारतक भविष्य के लेल एक मजबूत नींव राखि रहल अछि ।

हमरा विश्वास अछि जे ई दिशानिर्देश देश भरि मे प्रभावी विद्यालय शासन के लेल एकटा मजबूत आ भविष्यक लेल सेहो रूपरेखा प्रदान करत आ प्रत्येक बच्चा के लेल गुणवत्तापूर्ण, न्यायसंगत, आ समग्र शिक्षा सुनिश्चित करै मे महत्वपूर्ण योगदान देत ।


(धर्मेन्द्र प्रधान)

सभक लेल शिक्षा, नीक शिक्षा

कक्ष संख्या – 21107, पहिल तल, माननीय शिक्षा मंत्री कार्यालय, गेट नंबर 04, कर्तव्य भवन-2, नव दिल्ली-110001

ई-मेल: minister.sm@gov.in

जयन्त चौधरी
JAYANT CHAUDHARY



कौशल विकास और उद्यमशीलता
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं
शिक्षा राज्य मंत्री
भारत सरकार

Minister of State (Independent Charge) for
Skill Development and Entrepreneurship
and Minister of State for Education
Government of India



संदेश

शिक्षा राष्ट्रीय विकास के केंद्र में निहित है, आर सामुदायिक भागीदारी एकर सबसँ शक्तिशाली प्रेरक शक्ति है। एकटा समावेशी आर भविष्यक लेल तैयार राष्ट्र के निर्माण के जरूरत है जे हमर विद्यालयसभ के गहराई से जड़ जमाएत, आर सक्रिय रूप सँ सेहो समर्थन करत, जाहि समुदाय के ओ सेवा करै छै। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 विद्यालय के जीवंत संस्थान के रूप में परिकल्पना केलकै जतय माता पिता शिक्षक आर स्थानीय हितधारक समग्र विकास सुनिश्चित करै लेल, सीखने के परिणाम मे सुधार करै लेल, आर हर बच्चा के कल्याण के लेल सहयोग करै छै। एहि दृष्टि के केंद्र में विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) छै जे सामुदायिक भागीदारी, साझा जिम्मेदारी आर सामूहिक कार्यवाही के लेल जमीनी मंच के निर्माण करै छैक।

विद्यालय प्रबंधन समिति दिशानिर्देश, 2026 भूमिका आ जिम्मेदारिकें स्पष्ट रूपसँ परिभाषित कऽ, समावेशी आ लिंग-संतुलित प्रतिनिधित्वकेँ बढ़ावा दऽ, आ क्षमता-निर्माणकेँ बढ़ा कए एहि ढाँचाकेँ सुदृढ़ करैत अछि। ई दिशानिर्देश एसएमसी के विद्यालय शासन आ छाल परिणाम मे सार्थक योगदान करय के अधिकार दैत छैक।

जखन समुदाय अपन विद्यालयक स्वामित्व लैत अछि तखन बच्चासभकेँ सबसँ बेसी लाभ होयत। सशक्त एसएमसी प्रत्येक बच्चाक सफलताक लेल साझेदारी, विश्वास, आ साझा प्रतिबद्धताक संस्कृति के बढ़ावा देत, आ सब लेल गुणवत्तापूर्ण, न्यायसंगत, आ समग्र शिक्षाक दिशामे एनईपी 2020 के लक्ष्य के आगू बढ़ा देत। यदि अहाँ चाहैत छी तऽ हम दुनू छवि के पाठ के एक साफ दस्तावेज या पीडीएफ मे जोड़ सकैत छी ताकि पढ़ने या छापने मे आसानी हो।


(जयन्त चौधरी)

संजय कुमार, भा.प्र.से
सचिव

Sanjay Kumar, IAS
Secretary



स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
Department of School Education & Literacy
Ministry of Education
Government of India



संदेश

शिक्षा एकटा साझा सामाजिक जिम्मेदारी छै, जेना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में परिकल्पना कैल गेल छै, जे विद्यालयीशिक्षा में विकेंद्रीकृत शासन, सामुदायिक भागीदारी, आर सक्रिय सामुदायिक भागीदारी पर जोर दैत छैक। एनईपी 2020 मान्यता दैत अछि जे विद्यालय सब सँ नीक काज तखन करैत अछि जखन ओ अपन समुदाय सँ निकटता सँ जुड़ल रहैत अछि आ जखन स्थानीय हितधारक सामूहिक रूप सँ प्रत्येक बच्चा के विकास आ विकास मे योगदान दैत अछि।

एहि सन्दर्भमे विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसएमसी) स्थानीय विद्यालय शासनक सुदृढीकरणमे महत्वपूर्ण भूमिका निभबैत अछि। विद्यालय स्तर पर वैधानिक निकाय के रूप में एसएमसी अभिभावक शिक्षक आर सामुदायिक सदस्य के लेल एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करै छै जे विद्यालय के समर्थन के लेल एक संग सेहो काज करैत अछि। प्रभावी विद्यालय नियोजन, संसाधनक बेहतर उपयोग, शिक्षण परिणाममे सुधार, आ छात्रक समग्र कल्याणक लेल हुनकर सक्रिय भागीदारी आवश्यक छैक। मजबूत आ कार्यात्मक एसएमसी ई सुनिश्चित करय मे मदद करैत अछि जे विद्यालय समावेशी, जवाबदेह, आ स्थानीय आवश्यकता के प्रति उत्तरदायी हो।

सशक्त एसएमसी सहायक शिक्षण वातावरण के बढ़ावा देबय लेल, समानता के बढ़ावा देबय, आर ई सुनिश्चित करै के केंद्र में छै जे अभिभावक आर समुदाय के आवाज-विशेष रूप सँ वंचित वर्ग के-विद्यालय के निर्णय लेबय लेल सार्थक रूप से परिलक्षित हेतय। एकर अतिरिक्त, ई जवाबदेही आ पारदर्शिता सेहो आनैत अछि।

विद्यालय प्रबंधन समिति दिशानिर्देश 2026 विकसित कैल गेल अछि जे एहि दृष्टिकेँ व्यवहारमे आनए। ई दिशानिर्देशक उद्देश्य जिम्मेदारी के स्पष्ट करै, सहभागी विद्यालय विकास योजना के प्रोत्साहित करै, आ विद्यालय, परिवार, स्थानीय प्राधिकारी, आ व्यापक समुदाय के बीच सहयोग के बढ़ावा द्वारा जमीनी स्तर पर शासन के मजबूत करै के उद्देश्य छैक। दिशानिर्देश हितधारक के परामर्श के बाद आर एसएसए, आरएमएसए आर समग्र शिक्षा के सब नियम, पिछला दिशानिर्देश पर विचार के बाद विकसित कैल गेल छै आर एहि मुद्दे पर पहिल के सब दिशानिर्देश के सेहो हटा देल गेल छैक।

जेना-जेना भारत विकसित भारत @2047 क मार्ग पर आगू बढ़ैत अछि, मजबूत सामुदायिक संस्थानक भूमिका आओर महत्वपूर्ण भऽ जाइत अछि। सक्रिय आ सशक्त एसएमसी द्वारा समर्थित गुणवत्तापूर्ण विद्यालयीशिक्षा, सूचित, कुशल आ जिम्मेदार नागरिकक पोषणक कुंजी होयत।

हमरा विश्वास अछि जे ई दिशानिर्देश प्रभावी आ सहभागी एसएमसी के निर्माण मे राज्य आ विद्यालय के सहायता करत, जाहि सँ बेहतर शिक्षण परिणाम मे सार्थक योगदान देत। विकसित भारत के दीर्घकालिक दृष्टि।


(संजय कुमार)

कक्ष संख्या - 21102, पहिल तल, सचिव (DoSEL) के कार्यालय, गेट नंबर 04, कर्तव्य भवन-2, नव दिल्ली-110001

ई-मेल: secy.sel@nic.in

संदेश

विद्यालयी शिक्षा एकटा न्यायसंगत समावेशी आ प्रगतिशील समाजक नींव बनबैत अछि। विद्यालयी शिक्षा के गुणवत्ता न केवल नीति आ संसाधन सँ गहराई सँ प्रभावित छै बल्कि एहि बात सँ सेहो प्रभावित छै कि समुदाय विद्यालय के जीवन मे कोन हद तक सार्थक रूप सँ संलग्न छै। एकरा स्वीकार करैत, शिक्षा सुधार लगातार विकेंद्रीकृत शासन, सामुदायिक भागीदारी, आ बच्चासभक शिक्षा आ कल्याणक लेल साझा जवाबदेही पर जोर देने अछि। विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) एहि दृष्टिकेँ व्यवहारमे अनबाक लेल जमीनी स्तर पर सबसँ महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्रक प्रतिनिधित्व करैत अछि।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 विकेंद्रीकृत शासन आ विद्यालयी शिक्षामे माता-पिता, स्थानीय समुदाय, पूर्व छात्र, आ अन्य हितधारक सभक सक्रिय भागीदारी पर जोर दैत अछि, विद्यालयसभकेँ शिक्षणक जीवन्त केन्द्रक रूपमे मान्यता दैत अछि जे अपन समुदायक भीतर निकटता सँ अंतर्निहित अछि। एनईपी 2020 शिक्षण परिणाम, समावेशन, आ समग्र विद्यालयक कार्यप्रणालीमे सुधार लेल साझा जिम्मेदारी, सामुदायिक स्वामित्व, आ सहभागी निर्णयक महत्वकेँ रेखांकित करैत अछि। यद्यपि विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) सँ संबंधित प्रावधान समग्र शिक्षा फ्रेमवर्क आ बच्चासभ के मुफ्त आ अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत मौजूद छै, जे एकटा व्यापक, एकीकृत, आ अद्यतन राष्ट्रीय ढांचा के आवश्यकता महसूस कैल गेल छै जे समकालीन शैक्षिक संदर्भ में एसएमसी के संरचना, कार्यप्रणाली, आ पूर्ण क्षमता को स्पष्ट रूप से व्यक्त करैत अछि। तदनुसार, विद्यालय प्रबंधन समिति के लेल ई राष्ट्रीय दिशानिर्देश एसएमसी पर **केंद्रित समेकित राष्ट्रीय मार्गदर्शन** के रूप में कार्य करै लेल विकसित कैल गेल अछि, जे विद्यालयीशिक्षा के सब स्तर पर लागू होयत अछि।

विषय पर पहिले के सबटा दिशानिर्देश के स्थान पर ई दिशानिर्देश एसएमसी के **संरचना, संविधान, कार्यकाल, चुनाव प्रक्रिया, भूमिका आ जिम्मेदारीसभक**, सीएसआर समर्थन मांगै वाला एसएमसी सदस्य के क्षमता निर्माण आदि को स्पष्ट रूप सँ रेखांकित करैत भागीदारी शासन के जीवन्त मंच के रूप में मजबूत करै के एकटा उद्देश्य छैक। ई शैक्षणिक निरीक्षण, विद्यालय विकास योजना (एसडीपी) के माध्यम से विद्यालय योजना, वित्तीय प्रबंधन, सामाजिक लेखा परीक्षा, बच्चासभक सुरक्षा आ कल्याण, समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा के बढ़ावा देबय लेल आ संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण सँ संबंधित विभागसभक सङ् अभिसरण आ समन्वय पर विस्तृत मार्गदर्शन सेहो प्रदान करैत अछि। विद्यालयसँ बाहर (ओ. ओ. एस. सी.) आ पढाई छोड़यवला बच्चासभक नामांकन, प्रतिधारण, आ मुख्यधारामे आनय लेल, सामाजिक-आर्थिक रूपसँ वंचित समूहक बच्चासभक समर्थन, आ मूलभूत साक्षरता आ संख्यात्मकता केँ बढ़ावा देबामे एस. एम. सी. क भूमिका पर विशेष जोर देल गेल अछि। ई सब सामूहिक रूप सँ परिणाम ओहि छात्रक लेल वांछनीय शिक्षण परिणाम होअय जे विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के आगू बढ़ाओत।

ई दिशानिर्देश राज्य आ केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय संदर्भ के जवाब देबय के दौरान अपन नियम आ प्रक्रिया के सामंजस्य के लेल एकटा संदर्भक ढांचा के रूप में काज करै के एकटा उद्देश्य छैक। अंततः, ओ समुदायसभकेँ विद्यालयक लेल सामूहिक जिम्मेदारी लेबाक लेल सशक्त बनयबाक प्रयास सेहो करैत अछि, ई सुनिश्चित करैत अछि जे प्रत्येक बच्चा सुरक्षित, समावेशी, आ पोषणकारी वातावरणमे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सीखैत अछि, पनपैत अछि, आ ओकरा पूर्ण करैत अछि।



(अर्चना शर्मा अवस्थी)

अपर सचिव, स्कूली शिक्षा आ साक्षरता विभाग

शिक्षा मन्त्रालय

विषय-वस्तु तालिका

1. परिचय	1
2. विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी)	1
2.1 एसएमसी सदस्यक चयनक लेल मानदंड	2
2.2 एसएमसीक संरचना	3
2.3 सदस्य सचिवक भूमिका आ उत्तरदायित्व	3
2.4 कार्यकाल	4
2.5 एसएमसी के अभिभावक/संरक्षक सदस्यक चुनाव प्रक्रिया	4
2.6 उप-समितिसभ एसएमसी	5
3. एसएमसी क भूमिका, उत्तरदायित्व वा कार्य	6
4. विद्यालय विकास योजना (एसडीपी)	12
5. बैठक आ प्रक्रिया	14
6. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	14
7. वित्तीय प्रबन्धन आ सामाजिक लेखापरीक्षा	15
8. अभिसरणक माध्यम सँ संसाधनक लाभ उठाबय लेल मंत्रालय/विभाग	16
9. एसएमसी क निगरानी आ समर्थन	19
10. निष्कर्ष	19
संलग्नक	21

1. परिचय

सामुदायिक गतिशीलता आ सहभागिता समुदाय के अपन प्राथमिकता, संसाधन, आवश्यकता आ समाधान के पहचान करै लेल संलग्न करै के एकटा प्रक्रिया छैक, जे प्रतिनिधि भागीदारी, सुशासन, जवाबदेही, आ शांतिपूर्ण परिवर्तन के बढ़ावा दैत अछि। शिक्षाक सन्दर्भमे सामुदायिक गतिशीलता आ सामुदायिक सदस्यसभक घनिष्ठ सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण अछि। ई दृष्टिकोण समुदाय द्वारा प्रभावी योजना, कार्यान्वयन, निगरानी, मूल्यांकन, आ सरकारी कार्यक्रम के स्वामित्व के सक्षम करै वाला एकटा बॉटम-अप प्रक्रिया के सेहो बढ़ावा दैत अछि। सक्रिय सामुदायिक भागीदारी पारदर्शिता, जवाबदेही, आ विद्यालय के बेहतर कार्यप्रणाली के लेल सामूहिक सामुदायिक ज्ञान के उपयोग सेहो सुनिश्चित करैत अछि। प्रभावी विकेंद्रीकरण के माध्यम सँ ई विद्यालय आधारित हस्तक्षेप के लेल सामुदायिक स्वामित्व सेहो सुनिश्चित करैत अछि, शासन संरचनासभ के मजबूत करैत अछि, आर सतत शैक्षिक विकास के समर्थन सेहो करैत अछि।

1.2 **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020** स्थानीय समुदाय, पूर्व छात्र, आ वरिष्ठ नागरिकक सक्रिय भागीदारी पर जोर दैत अछि जे विद्यालयमे शिक्षण, साक्षरता अभियान, मार्गदर्शन, शिक्षण समर्थन आ मार्गदर्शन आदि विभिन्न गतिविधिसभमे स्वयंसेवकलोकनिकें प्रोत्साहित कऽ विद्यालयमे शिक्षा बढ़ाबय। (पैरा.3.7) एन. ई. पी. 2020 द्वारा निर्देशित, विद्यालयसभकेँ जीवन्त केन्द्रक रूपमे विकसित होअय चाही, जतय शिक्षा आ समुदाय एक सङ्ग होय। जखन माता-पिता, शिक्षक, आ स्थानीय लोक विद्यालयक गतिविधिमे भाग लैत छथि, तखन ओ देखभाल, समावेशन, आ गौरवक वातावरण बनयबामे सहायता करैत छथि। प्रत्येक विद्यालय एकटा एहन स्थान बनि सकैत अछि जे न केवल बच्चाकेँ पढ़बैत अछि बल्कि सम्पूर्ण समुदायकेँ एक सङ्ग सेहो लाबैत अछि।

1.3 **समग्र शिक्षा 2.0** रूपरेखा (तारीख 12 अक्टूबर, 2022) 'अध्याय 13: सामुदायिक गतिशीलता में विद्यालयप्रबंधन समिति (एसएमसी) के संरचना, कार्यप्रणाली आदि के विवरण सेहो देल गैल अछि, जे जमीनी स्तर पर समिति अछि ओकर समग्र शिक्षा योजना और विद्यालयशिक्षा विभाग के अन्य पहलसभ के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाबैत अछि।

1.4 **बच्चासभ के लेल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009** अध्याय 4 के अन्तर्गत: विद्यालय आ शिक्षक सभक उत्तरदायित्व, धारा (21) विद्यालयमे एसएमसीक संरचना आ कार्यक विवरण।

2. विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी)

विद्यालय शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी के मजबूत करबाक लेल एनईपी 2020, समग्र शिक्षा योजना आ आरटीई अधिनियम, 2009 में विकेंद्रीकृत शासन के एकटा महत्वपूर्ण तत्वक रूप में विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के गठन पर विशेष जोर देल गैल अछि। सामुदायिक गतिशीलता के आधारशिला के रूप में एसएमसी विकेंद्रीकृत विद्यालय शासन के सेहो मजबूत करैत छैक, आर समुदाय के विद्यालयीशिक्षा के आकार देबाक लेल आ सुधार में सक्रिय रूप से भाग लेबाक लेल सेहो

सशक्त करै छैक । एनईपी, 2020, समग्र शिक्षा योजना, आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधान आ एमओई (पूर्ववर्ती मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)) के पूर्व दिशानिर्देश के दृष्टिगत सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) आ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), आदि., एसएमसीएस के सम्बन्धमे निम्नलिखित दिशानिर्देश सेहो जारी कयल जा रहल अछि । ई दिशानिर्देश पूर्व दिशानिर्देश आ निर्देश के स्थान पर अछि ।

ई दिशानिर्देश राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सभक लेल विद्यालयस्तर के शासन तंत्र के मजबूत करै लेल आर समावेशी, सहभागी आ जवाबदेह शिक्षा के राष्ट्रीय दृष्टि के संग स्थानीय नियम आर प्रक्रिया के सामंजस्यक लेल सेहो एकटा संदर्भक ढांचा रूप में काज करैत अछि ।

- ◆ प्रत्येक विद्यालय एकटा एसएमसी के गठन करत , एक मास के भीतर शैक्षणिक वर्ष प्रारम्भ ।
- ◆ राज्य आ केन्द्र शासित प्रदेश के सलाह देल जायत अछि जे ओसभ माध्यमिक विद्यालय सहित (कक्षा 12 तक) प्रत्येक विद्यालयमें विद्यालय प्रबंधन विकास समिति (एसएमडीसी) के स्थान पर एसएमसी के गठन सेहो करत ।
- ◆ एहिमे अधिकारीगण, छात्रगणक माता-पिता/अभिभावकगण, स्थानीय प्राधिकारीगणक प्रतिनिधि सेहो सम्मिलित रहत ।¹ शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ, विद्यालय के पूर्व छात्र आ वंचित समूह के प्रतिनिधि सेहो सम्मिलित रहत ।
- ◆ समिति के सदस्य के संख्या बच्चासभ के नामांकन के आधार पर तय कयल जायत:

नामांकन सीमा	लगभग सदस्यसभक संख्या
अधिकतम 100 छात्र	12-15 सदस्य
100-500 छात्र	15-20 सदस्य
500 सँ ऊपर छात्र	20 -25 सदस्य

2.1 एसएमसी सदस्यसभक चयन लेल मानदंड

- i. एसएमसी केँ सत्तर प्रतिशत (75%) संख्या बच्चा सभक माता-पिता आ अभिभावक सभक बीच सँ होयत ।
- ii. शेष पच्चीस प्रतिशत (25%) एसएमसी केँ संख्या निम्नलिखित लोकनि सँ होयत:
 - (क) एक तिहाई (1/3) सदस्य स्थानीय प्राधिकारीक निर्वाचित सदस्यक बीच सँ, जेकर निर्णय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कएल जाएत;
 - (ख) एक तिहाई (1/3) सदस्य विद्यालयक शिक्षक सभक बीच सँ, जेकर निर्णय विद्यालयक शिक्षक सभ द्वारा कएल जाएत;
 - (ग) शेष एक तिहाई सदस्य के चयन स्थानीय शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ, शिक्षाविद, वरिष्ठ छात्र, विद्यालयके पूर्व छात्र, आ अग्रिम पंक्ति के सामुदायिक कार्यकर्ता जेना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यूएस), मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) आ सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) जे विद्यालयके आसपास के क्षेत्र में सेवा दऽ रहल अछि । एहि सदस्यसभक चयन समितिक मूल प्रतिनिधिसभ द्वारा कयल जायत ।

¹ "स्थानीय प्राधिकारी" के अर्थ अछि नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद, नगर पंचायत वा पंचायत, चाहे ओ कोनो नाम सँ जानल जाएत हो, आ एहिमे एहन कोनो दोसर प्राधिकारी वा निकाय सेहो शामिल अछि जे विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखैत अछि वा कोनो वर्तमान कानूनक तहत कोनो शहर, नगर वा गाम मे स्थानीय प्राधिकारीक रूप मे कार्य करबाक लेल सशक्त अछि ।

टिप्पणी:

- ◆ पचास प्रतिशत(50%) एसएमसी के संख्या महिलासभक रहत ।
- ◆ सामाजिक आ आर्थिक रूप सँ वंचित समूह (एसईडीजीएस) जेना कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आदि, आ विशेष आवश्यकता युक्त बच्चासभक (सीडब्लूएसएन) केँ माता-पिता वा अभिभावक सभ केँ सेहो जनसंख्याक अनुपात मे प्रतिनिधित्व देल जाएत ।

2.2 एसएमसीक संरचना

प्रत्येक एसएमसी में निम्नलिखित सदस्यसभ शामिल होयत:

1.	माता-पिता/अभिभावक द्वारा निर्वाचित सदस्य	अध्यक्ष
2.	माता-पिता/अभिभावक द्वारा निर्वाचित सदस्य	उपाध्यक्ष
3.	विद्यालय मे पढ़य वाला सब कक्षा केँ बच्चासभक माता पिता /अभिभावक	सदस्य
4.	स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्य	सदस्य
5.	विद्यालयक शिक्षकगण	सदस्य
6.	स्थानीय शिक्षाविद्/विषय विशेषज्ञ/शिक्षाविद्/वरिष्ठ छात्र/विद्यालय के पूर्व छात्र/एडब्ल्यूडब्ल्यू/आशा/एएनएम	सदस्य
7.	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/विद्यालय प्रभारी	सदस्य सचिव

2.3 सदस्य सचिवक भूमिका आ उत्तरदायित्व

सदस्य-सचिवक कर्तव्यसभ निम्नलिखित अछि:

- शैक्षणिक सत्र शुरू होबय सँ एक महिना केँ भीतर एसएमसी केँ गठन सुनिश्चित करब ।
- विद्यालय मे पढ़ै बला बच्चा सभक माता-पिता/अभिभावक सभक बीच चुनाव के माध्यम सँ सदस्य सभक चयन लेल समय पर वार्षिक आम सभा आयोजित करब । (ई सुनिश्चित कएल जाए कि चुनाव के समय कम सँ कम 50% माता-पिता/अभिभावक उपस्थित रहथि) ।
- नवनिर्मित एसएमसी सदस्य सभक पूरा विवरण गठन के एक सप्ताह के भीतर विद्यालय भवनक प्रमुख स्थान सभ पर प्रदर्शित करब । माता-पिता/सदस्य सभक विवरण मे नाम, पद, संपर्क नंबर, ईमेल आईडी आदि सेहो शामिल होबाक चाही । माता-पिता/अभिभावक के मामला मे, बच्चाक नाम आ ओकर कक्षाक विवरण सेहो उल्लेख कएल जेबाक चाही ।
- कमसँ कम महिना मे एक बेर एसएमसी केँ बैठक सेहो आयोजित करब ।
- बैठक के दौरान एसएमसी के कोरम (न्यूनतम 50%) उपस्थिति सुनिश्चित करब ।
- एसएमसी बैठक मे चर्चा कएल जाए बला कार्यसूची तैयार करब ।
- एसएमसी केँ विवरण, बैठकक सूचना सँ संबंधित जानकारी, बैठक मे उपस्थित सदस्यसभक सूची , कार्यसूची (एजेंडा) आ कार्यवृत्त आदि दर्ज करबाक लेल नियमानुसार एकटा रजिस्टर सेहो बनायब ।

- viii. बैठकक कार्यवाही आ निर्णयके सही ढंग सँ रिकॉर्ड कएल जाए आ ओकरा समितिक सभ सदस्य आ जनताक लेल उपलब्ध कराओल जाएत ।
- ix. विद्यालय प्रबंधन समिति के गठनक एक मासक भीतर सदस्य सभक लेल क्षमतावर्धन प्रशिक्षण सुनिश्चित कएल जाए। एकर अलावा, आवश्यकतानुसार समय-समय पर सदस्य सभक लेल प्रशिक्षण/ कार्यशाला सेहो आयोजित कएल जा सकैत अछि ।
- x. यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई +) पोर्टल पर उपलब्ध विद्यालयक रिपोर्ट कार्ड के विद्यालयक प्रमुखक स्थान पर प्रदर्शित करू आ पहिल बैठकमे एसएमसी सदस्यसभकेँ सेहो ई उपलब्ध कराउ ।
- xi जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारिसभक द्वारा एसएमसीक बैठक, ओकर बनावट, अभिभावक/ संरक्षक सभक चुनाव प्रक्रिया, आ एसएमसी मनोनीत सदस्य सभक समावेशक संबंध में जिला प्रखंड स्तरक अधिकारी द्वारा जारी कएल गेल आदेश आ निर्देश सभक अनुपालन सुनिश्चित कएल जाए ।
- xii विद्यालय प्रमुख या जिला शिक्षा अधिकारी या कोनो उच्च प्राधिकारी द्वारा सौंपल गेल कोनो अन्य जिम्मेदारी के सेहो पूरा कएल जाए ।

2. 4 कार्यकाल

एसएमसी के सदस्यसभक कार्यकाल दू साल के लेल होएत । एसएमसी ओकरा दू साल के कार्यकाल के बाद तक जारी राखि सकैत अछि, जाबैत धरि नव समिति के पुनर्गठन नहीं भऽ जाए। नव समिति के गठन के प्रक्रिया अधिमानतः एसएमसी के कार्यकाल पूरा होय सँ पहिने शुरू कएल जाए ताकि एसएमसी में कोनो विसंगति नहि होय । एकटा सदस्य के दोसर कार्यकाल लेल पुनः नामित कएल जा सकैत छै मुदा एकटा सदस्य लगातार दू कार्यकाल सँ अधिक पद पर नहि रहि सकैत छै सिवाय सदस्य सचिव के ।

- i. एसएमसी सभक सदस्य के कार्यकाल निम्नलिखित शर्त सङ्ग समाप्त कएल जाएत
 - (क) जँ माता-पिता/अभिभावक सदस्यक बच्चा विद्यालय छोड़ि दैत छथि ।
 - (ख) कोनो सदस्यक हिरासत/दोषसिद्धि, चाहे ओ अपराधिक मामला में होअय वा कोनो आन ।
 - (ग) सदस्यक सम्बंधित ब्लॉक/जिला सँ पलायन ।
 - (घ) सदस्यक आकस्मिक मृत्यु ।
 - (ङ) यदि कोनो सदस्य बिना कोनो जानकारीक लगातार चारिटा बैठकमे अनुपस्थित रहैत अछि ।
- ii. बिंदु (I) में बताओल गेल कोनो कारण सँ उत्पन्न भेल कोनो आकस्मिक रिक्ति के कार्यान्वयन प्राधिकारी/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाक अनुसार भरल जाएत ।

2.5 एसएमसी के अभिभावक सदस्य के चुनाव प्रक्रिया

एसएमसी के अभिभावक या संरक्षक सदस्य के चुनाव लोकातांतिक पारदर्शी और समावेशी तरीका सँ संचालित कएल जाएत ताकि विद्यालयशासन में सार्थक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित भऽ सके । राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश अपन संबंधित नियम या आदेश के अनुसार एसएमसी सदस्य के चुनाव आ नामांकन के लेल अपन विस्तृत प्रक्रिया सेहो निर्धारित कऽ सकैत अछि । नीचाँ देल गेल चुनाव प्रक्रिया सांकेतिक अछि ।

- i. शैक्षणिक सत्रक शुरुआत में, विद्यालयक प्रधान नामांकित बच्चासभक अभिभावक आ संरक्षक कें एकटा नोटिस जारी क' चुनाव प्रक्रिया शुरू करताह, जाहि में संबंधित राज्य वा केंद्र शासित प्रदेशक नियमक अनुसार चुनावक समय-सारणी आ प्रक्रियाक स्पष्ट उल्लेख होयत।
- ii. प्रत्येक नामांकित बच्चाक केवल एकटा अभिभावक वा संरक्षक (जकर नाम एडमिशन फॉर्म में पहिलहि सँ दर्ज अछि) ओसभ चुनाव में भाग लेबाक लेल पात्र होयताह।
- iii. अभिभावक वा संरक्षक विद्यालय समुदायक भीतर सँ अपन स्वयं कें वा दोसर योग्य आ इच्छुक अभिभावक कें नामित क' सकैत छथि। जाहि में सामाजिक आ आर्थिक रूप सँ वंचित समूह आ विशेष आवश्यकता वाला बच्चासभक माता-पिताक पर्याप्त प्रतिनिधित्व, 50% महिलाक प्रतिनिधित्व, आ विद्यालयक सब वर्गक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कएल जेबाक आवश्यक अछि।
- iv. जँ उम्मीदवारक संख्या निर्धारित सीट सँ बेसी होइत अछि, त' चुनाव हाथ उठा क' वा ध्वनि मत सँ कएल जाएत; मुदा कोनो विवाद वा असहमति भेला पर, निष्पक्षता सुनिश्चित करबाक लेल गुप्त मतदान कें अपनाओल जा सकैत अछि।
- v. मतदानक समय नामांकित बच्चाक कुल अभिभावक वा संरक्षकक कम सँ कम 50% कोरम उपस्थित रहब अनिवार्य अछि।
- vi. निष्पक्षता आ पारदर्शिता बनौने रखबाक लेल चुनाव प्रक्रियाक देखरेख कोनो नामित शिक्षा अधिकारी वा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कएल जा सकैत अछि।
- vii. प्रक्रिया पूरा भेला पर, निर्वाचित सभ अभिभावक वा संरक्षक सदस्यक नाम संस्थानक प्रधान द्वारा आधिकारिक रूप सँ दर्ज कएल जाएत।

एसएमसी के गठनक बाद, नवनिर्मित समितिक पहिल बैठक अगिला कार्य दिवस वा बेसी सँ बेसी एक सप्ताहक भीतर आयोजित कएल जाएत। पहिल बैठक मे अध्यक्ष आ उपाध्यक्षक चुनाव कएल जाएत।

2.6 एसएमसी के लेल उप-समिति

एसएमसी क प्रभावी कामकाजक लेल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आ सदस्य सचिव अपन आवश्यकतानुसार एसएमसी क सदस्यक बीच सँ उप-समितिक गठन क' सकैत छथि। एसएमसी कें नीचाँ देल गेल दू टा उप-समिति द्वारा सहायता कएल जा सकैत अछि:

- (क) **विद्यालय निर्माण समिति:** विद्यालय भवन समिति कें विद्यालयक बुनियादी ढांचाक निर्माण, जीर्णोद्धार, मरम्मत आ रखरखाव सँ संबंधित योजना, अनुमान, प्रबंधन, निगरानी, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग आ खातक रखरखावक लेल जिम्मेदार बनाओल जा सकैत अछि। ई समिति सुरक्षा, बच्चाक अनुकूल आ लैंगिक-संवेदनशील सुविधा, सार्वभौमिक पहुँच, आ निर्धारित वित्तीय एवं तकनीकी मानकक अनुपालन सुनिश्चित कऽ सकैत अछि। सङ्गहि, ई सभटा निर्माण कार्यक समय पर निष्पादनक लेल कड़ाई सँ निगरानी करत ताकि एकटा सुरक्षित, समावेशी आ विद्यार्थी-अनुकूल वातावरणक निर्माण भऽ सकय।

(ख) **शैक्षिक समिति:** अकादमिक समिति योजना, प्रबंधन, निगरानी, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग, आ यूडीआईएसई+ के लेल डेटा संकलन सहित सभटा शैक्षणिक गतिविधि लेल जिम्मेदार भऽ सकैत अछि। ई समिति सामाजिक-आर्थिक, लैंगिक, आ दिव्यांगता सँ संबंधित बाधा कें दूर कऽ शिक्षाक गुणवत्ता आ समानता में निरंतर सुधार सुनिश्चित करत। एकर संगहि शिक्षक आ छात्रक उपस्थिति कें निगरानी, मार्गदर्शन आ परामर्श में सहयोग, छात्रक उपलब्धिक ट्रैकिंग, संवर्धन आ विकासात्मक शिक्षण गतिविधि कें बढ़ावा देब, आ छात्र एवं शिक्षकक समग्र शैक्षणिक, सामाजिक आ व्यक्तित्व विकास कें पोषित करब एकर मुख्य कार्य अछि। ई सभ जिम्मेदारी कें निर्वहन करैत, ई समिति छात्रक उपलब्धि आ विद्यालयक शैक्षणिक व्यवस्थाक समग्र स्वास्थ्यक मुख्य संरक्षकक रूप में कार्य करैत अछि।

3. एस. एम. सी. के भूमिका आ जिम्मेदारी अथवा कार्य

विद्यालयक प्रभावी शासन सुनिश्चित करबाक आ शिक्षाक गुणवत्ता कें बढ़ाबय मे एसएमसी एकटा महत्वपूर्ण भूमिका निभावैत अछि। एकर प्राथमिक कार्य मे विद्यालयक समग्र कामकाजक निगरानी करब आ 'समग्र शिक्षा', 'पीएम श्री' आ 'पीएम पोषण' सहित विभिन्न शैक्षणिक योजनाक समय पर आ प्रभावी कार्यान्वयनक देखरेख करब शामिल अछि। एसएमसी बुनियादी ढांचा मे कमिक पहचान क', वर्तमान सुविधाक सर्वेक्षण क' आ विद्यालयक वशिष्ट आवश्यकताक समाधान करैत एकटा व्यापक विद्यालयक विकास योजना (एसडीपी) तैयार करबाक आ ओकर अनुशंसा करबाक लेल जिम्मेदार अछि।

विद्यालयक बुनियादी ढांचाक उन्नयन लेल सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) सँ दान/ अनुदान जुटाबय लेल एसएमसी उत्तरदायी होयत। ई उचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी वा अन्य स्रोत सँ प्राप्त अनुदानक उपयोगक निगरानी सेहो करत, सङ्गहि सँ आ समुदायक बीच संबंध कें मजबूत करबाक लेल अभिभावक आ समाजक भागीदारी कें बढ़ावा देत। विद्यालयक



आवश्यकताक पहचान क' आ कार्ययोजना तैयार क'एसएमसी विद्यालय, समुदाय आ स्थानीय प्राधिकारीक बीच समन्वय पैदा करैत अछि, जाहि सँ एकटा समावेशी, सुरक्षित आ संसाधन सँ संपन्न शिक्षण वातावरणक निर्माण भऽ सकय। तदनुसार, एसएमसी सदस्यक भूमिका आ उत्तरदायित्वक मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित भऽ सकैत अछि:

- i. **सभ बच्चाक लेल नामांकन, ठहराव, आ समावेशी शिक्षणक अवसर सुनिश्चित करब:** एसएमसी सदस्यकें सभ बच्चाक नामांकन आ नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करबाक चाही, जाहि मे विशेष रूप सँ सामाजिक आ आर्थिक रूप सँ वंचित समूह आ विशेष आवश्यकता वाला बच्चा सँ संबंधित बच्चा पर ध्यान देल जाए। एकर संगहि ई सेहो सुनिश्चित कैल जाए जे कोनो बच्चा के विद्यालयीशिक्षा के

- पालन आ पूरा करै मे कोनो भेदभाव या बाधा के सामना नै करय पड़य। एसएमसी के ई सुनिश्चित करय मे विद्यालयके सहयोग करय के चाही जे विद्यालयमे कोनो बच्चा के उत्पीड़न या दुर्व्यवहार के घटना नै हो। एहन कोनो मामला तत्काल सम्बन्धित प्राधिकारी के सूचित कैल जाय। एसएमसी के प्रशस्त ऐप आ अन्य तरीका के उपयोग कऽ विशेष आवश्यकता वाला बच्चा (सीडब्ल्यूएसएन) के पहचान मे विद्यालयके सहायता करय के चाही आ सब गतिविधि मे हुनकर समावेशन के समर्थन करय के चाही।
- ii. **ड्रॉप आउट आ आउट ऑफ विद्यालयचिल्ड्रन (ओओएससी) के मुख्यधारा के लेल नामांकन अभियान:** विद्यालयक रिकॉर्ड आ सामुदायिक डेटाबेसक आधार पर एसएमसी सदस्यसभकेँ ओओएससी आ ड्रॉपआउट बच्चासभक पहिचानमे सहयोग करबाक चाही, आ विद्यालय कर्मचारी सभक संग ठोस प्रयास करबाक चाही जे ओसभकेँ आयु-उपयुक्त कक्षामे मुख्यधारामे आनल जा सकय। एकर सुविधा के लेल मुफ्त आ अनिवार्य विद्यालयीशिक्षा के प्रावधान के घर-घर अभियान, माता-पिता आ बच्चा के परामर्श, स्थानीय मीडिया, सामुदायिक रेडियो, ग्राम सभा, आ अन्य सामुदायिक मंच के माध्यम सँ व्यापक रूप सँ प्रचारित कैल जा सकैत अछि। ई सुनिश्चित करबाक लेल हर संभव प्रयास कयल जाय जे कोनो बच्चा विद्यालयीशिक्षा प्राप्त करबाक आ ओकरा पूरा करबामे पिछड़ि नहि जाए। एसएमसी पूर्व प्राथमिक (बालवाटिका/आंगनवाड़ी) सँ ग्रेड 1, मूलभूत से प्रारंभिक (ग्रेड 2 सँ ग्रेड 3), प्रारंभिक से मध्य (ग्रेड 5 सँ ग्रेड 6) आ मध्य से माध्यमिक स्तर (ग्रेड 8 सँ ग्रेड 9) में विद्यालयक बच्चा आ बच्चासभक डेटाबेस के अद्यतन करय लेल विद्यालयक समर्थन कऽ सकैत अछि।
- iii. **छात्र हक के समय पर वितरण सुनिश्चित करबाक :** एसएमसी सदस्यसभकेँ पाठ्य पुस्तक, वर्दी, छात्रवृत्ति, वजीफा आ एहन अन्य प्रावधानक समय पर वितरण सुनिश्चित करबाक चाही।
- iv. **अभिभावक शिक्षक बैठक (पीटीएम) में समर्थन:** एसएमसी शैक्षणिक आ अन्य गतिविधि खेल, फिटनेस, स्वास्थ्य, कला, आचरण, व्यवहार आदि पर विद्यालयमें छात्र के प्रदर्शन को साझा करबाक लेल नियमित पीटीएम के आयोजन और संचालन में पूरा समर्थन करैत अछि। पीटीएम बच्चासभक शैक्षिक यात्रा में माता-पिता/अभिभावक सभ के शामिल करै लेल एकटा प्रभावी तरीका सेहो अछि।
- v. **शैक्षिक योजना आ समर्थन:** एसएमसी सदस्यसभकेँ ई सुनिश्चित करबाक चाही जे विद्यालय समग्र शिक्षा योजना आ एनईपी 2020क अन्तर्गत निर्धारित मानदंड आ मानक सभक पालन करय। हुनका सभकेँ निगरानी करबाक चाही जे शिक्षकगण नियमित रूप सँ विद्यालय जाय, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करय, आ अपन बच्चाक प्रगति के साझा करय लेल माता-पिता सँ भेंट करय। समिति शिक्षकक कमी के दूर करै लेल आ मुख्य रूप सँ शैक्षणिक काज मे शिक्षक के जुड़ाव के समर्थन करै लेल आवश्यक कार्रवाई के समर्थन कऽ सकैत अछि।

एसएमसी केँ विद्यालयकैलेंडर तैयार करै, कक्षाक गतिविधि के अवलोकन करै, आ शिक्षण-शिक्षण प्रक्रिया के मजबूत करै आ छात्र के सीखै के परिणाम (एलओ) मे सुधार करै लेल सीखै के अंतराल के पहचान करै मे शिक्षक के सहयोग करय के चाही। एस. एम. सी. केँ शिक्षक के बार-बार रिपोर्ट करय के चाही। संबंधित प्राधिकारी के अनुपस्थिति ताकि सीखै में निरंतरता प्रभावित

नहि होय । अध्ययन के अधिक आकर्षक, प्रासंगिक, आ समुदाय सँ जोडबाक आ बस्तामुक्त (बैगलेस) दिनक लेल सेहो समृद्ध करै, एसएमसी के ई सभ करबाक चाही:

- समुदाय आधारित शिक्षण आयोजन के संगठन लेल सुविधा प्रदान करबाक जेना विज्ञान मेला, हेरिटेज वॉक, या अनुभवात्मक शिक्षा के बढ़ावा देबाक लेल पर्यावरण अभियान ।
- परियोजना आधारित शिक्षाक बढ़ावा देबय लेल सहायता जल संरक्षण अपशिष्ट प्रबंधन आ टिकाऊ खेती जेना सामुदायिक मुद्दासभ पर, कक्षा के ज्ञानसभ के वास्तविक जीवनक चुनौतिसभ सँ जोड़नाय ।
- सामंजस्यक सङ्ग कौशलक मांग बढ़ाउ स्थानीय व्यवसाय आ उद्योगक दृष्टि सँ एनईपी 2020 जनादेश के अनुरूप प्रासंगिक कौशल के एकीकृत आ कौशल शिक्षा के लेल इंटरनशिप या अप्रेंटिसशिप के सुविधा के आवश्यकता अछि ।

vi. **आधारभूत साक्षरता आ संख्यात्मकता (एफएलएन) लक्ष्यक प्राप्ति हेतु सहयोग:** एसएमसी निपुण भारत मिशनक तहत बुनियादी साक्षरता आ संख्यात्मकता क लक्ष्य प्राप्त करबाक लेल समुदाय आ अभिभावकक सहभागिता केँ आओर बढ़ावा देता । ओ सब प्रारंभिक कक्षा मे बच्चाक मातृभाषा क प्रयोग केँ प्रोत्साहित कय केँ, स्थानीय भाषाक 'रीडिंग कॉर्नर' (पढ़बाक कोना) बनेबा मे सहयोग कय केँ, किस्सा-कहानीक सत्र आ अभिभावकक नेतृत्व बला 'रीडिंग क्लब' क माध्यम सँ हर विद्यालय मे गुणवत्तापूर्ण शिक्षाक लेल सामूहिक जवाबदेही तय करता । एसएमसी शिक्षक आ सामुदायिक स्वयंसेवकक सहयोग सँ बहुभाषी शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार करबा मे सेहो मदति कय सकैत अछि । समिति केँ विद्यालय केँ 'निपुण' बनेबाक लेल केन्द्रित आ समयबद्ध प्रयास करबाक चाही, जाहि सँ ई सुनिश्चित भ' सकय जे सब विद्यार्थी अपन कक्षाक अनुरूप एफएलएन दक्षता प्राप्त कय लेथि । स्थानीय युवा स्वयंसेवक, शिक्षकक संग मिलि कय समय-समय पर सामुदायिक शिक्षण महोत्सव, पढ़बाक अभियान, या एहन कोनो दोसर पहलक आयोजन कय सकैत छथि जाहि सँ बच्चाक प्रगति केँ आकलन, सुदृढीकरण आ उत्सव मनाओल जा सकय । एसएमसी केँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आ प्राथमिक शिक्षकक बीच संयुक्त योजना आ गतिविधि केँ बढ़ावा देबाक चाही ताकि बच्चासभ आनंददायक आ खेल-आधारित शिक्षा पाबि सकथि आ आंगनबाड़ी सँ विद्यालय मे बच्चाक प्रवेश सुगम भ' सकय । समिति स्थानीय कलाकार, शिल्पकार, आ बुजुर्ग सबहक संग मिलि कय पारंपरिक ज्ञान, कला आ स्थानीय विरासत केँ विद्यालयक गतिविधि मे शामिल कय सकैत अछि । एहि मे स्थानीय गीत, कविता, हस्तशिल्प आ पाबनि-तिहारक प्रयोग शामिल अछि, जाहि सँ विद्यार्थी मे कौशल विकास आ अपन सांस्कृतिक जड़ि सँ जुड़ाव पैदा होयत । अभिभावक आ सामुदायिक जुड़ाव पर विस्तृत मार्गदर्शन 'निपुण भारत कार्यान्वयन दिशा-निर्देश (2021) क अध्याय 14 मे देल गेल अछि ।

vii. **प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) एवं स्वास्थ्य पहल:** एसएमसी सदस्य केँ पीएम पोषण योजनाक दैनिक प्रबंधनक देखरेख कय केँ एकरा सक्रिय रूप सँ मॉनिटर करबाक चाही । ओ सब शिक्षकक संग मिलि कय रोटेशन (बारी-बारी) के आधार पर भोजन परोसबा सँ पहिने ओकरा

² निपुण भारत (नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरीसी) एनईपी 2020 के तहत राष्ट्रीय मिशन अछि, जेकर उद्देश्य ई सुनिश्चित करबाक अछि जे प्रत्येक बच्चा ग्रेड 2 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) प्राप्त करय । एहि मिशनक उद्देश्य मूलभूत स्तर पर पढ़य, लिखय आ संख्यात्मकता लेल ग्रेड स्तरक दक्षता प्राप्त करनाय सेहो अछि । ई दिशानिर्देश पृत्य सेहो उपलब्ध अछि । https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nipun_bharat_eng1.pdf

खाख कय भोजनक गुणवत्ता सुनिश्चित करता।एसएमसीक बैठक मे 'तिथि भोजन' क अवधारणा आ महत्व पर चर्चा कयल जा सकैत अछि, जाहि सँ बच्चाक पोषण स्तर केँ बढ़बेबा मे अतिरिक्त भोजनक महत्व पर जोर देल जा सकय। 'तिथि भोजन' समुदायक सहभागिताक एकटा पहल अछि जे लोक केँ भोजन करेबाक भारतीय पारंपरिक प्रथा पर आधारित अछि। एहि पहलक अंतर्गत, समुदायक सदस्य कोनो विशेष अवसर या पाबनि-तिहार जेना—जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगाँठ, विवाह, विभिन्न पाबनि आ राष्ट्रीय महत्वक दिन आदि पर बच्चा सब केँ अतिरिक्त खाद्य सामग्री या पूर्ण पौष्टिक आ स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध करबैत छथि।अभिभावक आ समुदायक सदस्यक संग स्थानीय पकवान केँ शामिल करबा आ 'स्कूल न्यूट्रिशन (किचन) गार्डन' क विकास आ ओकर रखरखाव पर सेहो चर्चा कयल जा सकैत अछि। एहि मे विद्यार्थी, एसएमसी सदस्य आ सामुदायिक स्वयंसेवकक 'श्रमदान' सँ सहयोग लेल जायत। एकर अतिरिक्त, एसएमसी द्वारा स्वास्थ्य विभागक समन्वय सँ समय-समय पर स्वास्थ्य जाँच, स्वच्छता सत्र आ पोषण जागरूकता संबंधी गतिविधक आयोजन कयल जा सकैत अछि।

viii. **आधारभूत संरचना आ सुविधासभक निरीक्षण:** सामुदायिक सदस्य आ स्थानीय प्राधिकारी के सहयोग सँ एसएमसी सदस्य विभिन्न शैक्षिक पहल मे सक्रिय रूप सँ योगदान क सकथि, जाहि मे बिल्डिंग एज लर्निंग एड (बाला) कार्यक्रम, डिजिटल लर्निंग टूल्स के प्रचार, विज्ञान प्रयोगशाला के संवर्धन, अटल टिकरिंग लैब (एटीएल), एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग आ गणित) प्रयोगशाला, खेल कक्ष आ उपकरण, विद्यालयमे पुस्तकालय आ एनईपी 2020 के प्रावधान के अनुरूप गतिविधि आधारित लर्निंग स्पेस शामिल छैक। ओ ई सुनिश्चित कऽ कए बच्चा अनुकूल शिक्षण वातावरण के बढ़ावा दऽ सकथि जाहि सँ विद्यालय नियमित रखरखाव आ मरम्मत द्वारा साफ आ निक तरह सँ रखरखाव सेहो कैल जाए। पेय जल, शौचालय, चारदीवारी, पहुँच सड़क, रैंप आदि के व्यवस्था अन्य संबंधित विभाग के सहयोग सँ सुनिश्चित कैल जा सकय।

ix. **वित्तीय प्रबन्धन** एसएमसी वित्त के सुरक्षित अभिरक्षा, व्यय पर उचित नियंत्रण, सही व्यक्ति या संस्था के समय पर भुगतान, आ वित्तीय रिकॉर्ड के सटीक रखरखाव सहित धन के उचित प्रबंधन सुनिश्चित करै लेल विद्यालयके बजट की समीक्षा सेहो करत। समिति विद्यालयक प्राप्ति आ खर्चक वार्षिक विवरण तैयार करबामे सहायता करत आ ई सुनिश्चित करत जे कोनो वित्तीय अनियमितता नहि हो।

एसएमसी सदस्य आगामी वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान तैयार करै लेल योगदान देत आ उचित औचित्य के संग खर्च के नव मद के प्रस्ताव क सकथि। समिति विद्यालय के प्रधानाचार्य/ प्रमुख के प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तिसभ के प्रयोग के लेल अधिकृत अछि बशर्ते कि एहन कार्य स्वीकृत बजटीय प्रावधान के भीतर रहे।

- x. **सामाजिक लेखापरीक्षा आ निगरानीमे सहयोग:** एसएमसी सदस्यगण विद्यालयक गतिविधिक निरंतर निगरानी आ समग्र शिक्षा सन सरकारी कार्यक्रमक कार्यान्वयनमे महत्वपूर्ण भूमिका निभबैत छथि। हुनकर जिम्मेदारिसभमे प्रभावी योजना, प्रबंधन, आ सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करब शामिल छैक ताकि विद्यालयक विकास बढ़े, छात्रक नामांकन आ प्रतिधारणमे सुधार होय, आ पढ़ाई छोड़यवलाकेँ कम कैल जा सकय। सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान एसएमसी सदस्यसभ सँ ग्राम सभा के बैठक आ सार्वजनिक सुनवाई मे सक्रिय रूप सँ भाग लेबाक अपेक्षा कैल जाय छै, आ ई सुनिश्चित करय के लेल फॉलो अप सेहो कैल जाय छै जाही सँ विद्यालयस्तर पर लेखापरीक्षा के निष्कर्ष पर कार्रवाई कैल जाए।
- xi. **सामुदायिक भागीदारी एवं संसाधन जुटेनाय :** एसएमसी अभिभावक, पूर्व छात्र, स्वयंसेवक, कॉर्पोरेट संस्था आ स्थानीय संगठन सब केँ जोड़ि कय समय, विशेषज्ञता आ संसाधनक योगदान लेल एकटा सहयोगी तंत्र तैयार करत आ विद्यालयक कार्याकल्पक लेल काज करत। संसाधन जुटाबय क प्रयासक हिस्साक रूप मे, एसएमसी स्थानीय कंपनी आ सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम सँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडक उपयोग करत जाहि सँ स्कूलक बुनियादी ढाँचाक विकास आ शैक्षणिक गुणवत्ता मे सुधार कयल जा सकय। एसएमसी नागरिक समाज संगठन आ सामुदायिक नेता सब केँ एहि पहल सभक औपचारिक निगरानी आ रिपोर्टिंग मे शामिल करत, जाहि सँ विद्यालय पर एकर दीर्घकालिक प्रभाव आ सब भागीदारक दृश्यता सुनिश्चित भ' सकय।

समाजक सभवर्गक लेल आजीवन सीखय के समझ (उल्लास) (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम) के अंतर्गत साक्षरता लेल निरक्षर लोकक पहचान आ स्वयंसेवकक लेल समुदाय केँ लामबंद कयल जायत, जाहि सँ शिक्षा मे सामुदायिक ओनरशिप (स्वामित्व) आ सामाजिक जवाबदेही मजबूत होयत।

स्थानीय निवासी, पूर्व छात्र आ सेवानिवृत्त पेशेवर 'विद्यांजलि' पहलक अंतर्गत **मेंटर आ स्वयंसेवकक** रूप मे स्कूल मे सक्रिय योगदान द' सकैत छथि आ विद्यार्थी केँ अपन अनुभवक आधार पर मार्गदर्शन द' सकैत छथि। एसएमसी शिक्षा मंत्रालयक **विद्यांजलि पहल** <https://vidyanjali.education.gov.in> मे सहभागिता लेल समुदाय केँ प्रोत्साहित करत, जाहि सँ स्वयंसेवा आ सामुदायिक सहयोगक एकटा निरंतर संस्कृति विकसित होयत। एहि सँ बच्चाक सीखबाक अनुभव समृद्ध होयत आ विद्यार्थीक समग्र विकास केँ बढ़ावा सेहो भेटत।

- xii. **विद्यालयमे बच्चासभक सुरक्षा आ कल्याण सुनिश्चित करब:** एसएमसी केँ ई सुनिश्चित करबाक चाही जे प्रत्येक विद्यालय सब बच्चाक लेल एकटा सुरक्षित, समावेशी आ बाल-अनुकूल वातावरण

³ उल्लास भारतक एकटा प्रमुख कार्यक्रम छै, जे औपचारिक विद्यालयीशिक्षा से चूकय वाला वयस्क सभक लेल कार्यात्मक साक्षरता, संख्यात्मकता, डिजिटल, और जीवन कौशल प्राप्त करै पर केंद्रित छै, एनईपी 2020 के साथ संरेखित एक स्वयंसेवक आधारित, हाइब्रिड (ऑनलाइन/ऑफलाइन) मॉडलक उपयोग करैत नागरिकसभ के सशक्त बनाबय आ एकटा राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के बढ़ावा सेहो दैत छै।

⁴ विद्यांजलि एकटा समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म अछि जे सरकारी आ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयसभकेँ स्वैच्छिक सेवा, सम्पत्ति, कॉर्पोरेट/पीएसयू संस्थासभसँ सीएसआर समर्थन, आ पारदर्शी आ संरचित ढंगसँ सार्वजनिक दान प्राप्त करबामे सक्षम बनाबैत अछि।

प्रदान करय। ओ सब बच्चाक अधिकारक कड़ाई सँ रक्षा करता, जाहि मे शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न, भेदभाव, या कोनो प्रकारक शोषण सँ सुरक्षा शामिल अछि। विद्यालय मे 'स्कूल सेफ्टी प्लेज' (सुरक्षा शपथ), पोक्सो एक्ट, आ आंतरिक शिकायत समिति सँ संबंधित जानकारी स्पष्ट रूप सँ प्रदर्शित कयल गेल होबाक चाही।



एसएमसी सदस्य केँ विद्यालय प्रशासन, शिक्षक आ अभिभावक-शिक्षक संघ क संग नियमित बैठक कय केँ विद्यालयक सुरक्षा योजना तैयार करबा आ ओकर समीक्षा मे सक्रिय रूप सँ भाग लेबाक चाही। 'एंटी-बुलिंग' (धौंसियाएब रोकि) आ 'बाल यौन शोषण शिकायत समिति' क निर्णय पर एसएमसी क बैठक मे चर्चा कयल जेबाक चाही। एसएमसी सदस्यक संग एकटा 'स्कूल सेफ्टी कमेटी' (विद्यालय सुरक्षा समिति) केँ हर तिमाही मे परिसरक 'सेफ्टी वॉक' (सुरक्षा निरीक्षण) करबाक चाही आ ई सुनिश्चित करबाक चाही जे सुरक्षाक सब मानकक पालन भ' रहल अछि।

एसएमसी बच्चाक मानसिक आ भावनात्मक स्वास्थ्य केँ सेहो बढ़ावा देबाक चाही। एकरा लेल शिक्षक आ कर्मचारी द्वारा सम्मानजनक आ सहयोगी व्यवहार, बाल-संरक्षण आ एंटी-बुलिंग नीतिक प्रभावी कार्यान्वयन, आ परामर्श आ मनोसामाजिक सहायताक पहुँच सुनिश्चित कयल जाय। विशेष रूप सँ सामाजिक-आर्थिक रूप सँ वंचित समूह आ अन्य असुरक्षित पृष्ठभूमि क बच्चा सब पर विशेष ध्यान देबाक चाही। समिति केँ समुदाय आ विद्यालयक बीच एकटा सेतु (पुल) क रूप मे काज करबाक चाही जाहि सँ प्रत्येक बच्चाक सुरक्षित आ पालन-पोषण युक्त वातावरणक अधिकारक रक्षा भ' सकय। प्राकृतिक आपदा, खराब मौसम, अशांति या अन्य आपातकालीन स्थिति मे विद्यालय बंद रहबाक समय मे, एसएमसीशिक्षा मंत्रालयक विद्यालय बंद रहबाक समय आ ओकरा बाद घर पर आधारित शिक्षा मे अभिभावकक सहभागिताक लेल दिशा-निर्देश क संदर्भ मे छात्र आ अभिभावकक सहयोग कय सकैत अछि।

- xiii. **विद्यालय आधारभूत संरचना सुरक्षा आ आपदा सज्जता:** विद्यालय सुरक्षा आ संरक्षा सुनिश्चित करबाक हेतु एसएमसीकेँ आधारभूत संरचना सुरक्षा आ आपदा सज्जताक देखरेख करबाक चाही। सुरक्षा, स्वच्छता आ कार्यक्षमता सुनिश्चित करबाक लेल एकरा नियमित रूप सँ विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, जल आ स्वच्छता सुविधा, बिजली कनेक्शन, आ अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचाक निरीक्षण करनाय आवश्यक छैक। समिति केँ सत्यापित करय के चाही जे विद्यालयके पास एक कार्यात्मक आपदा प्रबंधन योजना छैक आ ई सुनिश्चित करय के चाही जे साल मे कम सँ कम दू बेर सुरक्षा आ निकासी अभ्यास आयोजित कैल जाए।

- xiv. **छात्रावास प्रबंधन:** विद्यालयजहाँ कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)/नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास (एनएससीबी छात्रावास)/अन्य विभाग के छात्रावास (पीएम जनमान, दजुआ आदि) विद्यालयसँ संलग्न अछि या एक ही परिसर में अछि, एसएमसी केँ एहि छात्रावास के स्थिति आ गतिविधि के निगरानी करय के चाही। एहिमे उचित रखरखाव, स्वच्छता, सुरक्षा, बच्चा अनुकूल सुविधासभ, आ निर्धारित नियम आ मानक सभक पालन सुनिश्चित करब सम्मिलित अछि।
- xv. **पर्यावरण आ हरित प्रथा केँ प्रोत्साहन:** एसएमसी केँ विद्यालय मे टिकाऊ आ हरित प्रथा केँ बढ़ावा देबाक चाही, जेना 'एकटा गाछ माँ के नाम' अभियानक अंतर्गत वृक्षारोपण करब, पोषण (किचन) गार्डन क स्थापना आ रखरखाव करब, कचरा पृथक्करण लागू करब, ऊर्जा संरक्षण कयब, आ 'मिशन लाइफ' जेहन कार्यक्रमक तहत अन्य पर्यावरण-अनुकूल पहल केँ अपनाएब।
- उपयुक्तता केँ देखैत, ई सब भूमिका आ जिम्मेदारी उप-समिति सब केँ सौंपल जा सकैत अछि। एसएमसी क किछु अन्य अतिरिक्त जिम्मेदारी नीचां देल गेल अछि...

अनुलग्नक-I

4. विद्यालय विकास योजना (एसडीपी)

विद्यालय केँ अल्पकालिक आ दीर्घकालिक एसडीपी तैयार करबाक चाही, जे मुख्य रूप सँ विद्यार्थीक नामांकन आ उपस्थिति मे सुधार, शिक्षक/कर्मचारीक प्रदर्शन, बजट प्रबंधन, आ सुविधा तथा बुनियादी ढाँचा (बुनियादी, प्रारंभिक, माध्यमिक आ उच्च माध्यमिक स्तर) आदि पर केंद्रित होबाक चाही।

i. एसडीपी शैक्षणिक योजनाक एकटा एहन मेल अछि जे बुनियादी ढाँचाक योजना आ सीखबाक प्रक्रिया मे ओकर प्रभावी उपयोगक मार्गदर्शन करैत अछि। जे विद्यालयक शैक्षणिक दूरदृष्टि आ ओकरा प्राप्त करबाक तरीका स्पष्ट रूप सँ दिखबाक चाही। ई विद्यालयक शैक्षणिक विकासक संग-संग बुनियादी ढाँचाक काज आ चरणबद्ध विकासक लेल एकटा 'मास्टर प्लान'

एसडीपी एक रणनीतिक योजना दस्तावेज छै, जे तीन साल के अवधि में विद्यालयके सब गतिविधि के कवर करै छै। ई रोड मैप छै जे छात्र के उपलब्धि के स्तर में सुधारक लेल एकटा विद्यालयके बदलाव के जरूरत के बारे में बताबैत अछि आ इहो दर्शाबैत अछि जे ई बदलाव कोना आ कहिया होयत।

आ आधारित दस्तावेज अछि। योजना बनेबाक ई प्रक्रिया कोनो एक बेर कय लेबय बला गतिविधि नहि, बल्कि एकटा निरंतर चलय बला प्रक्रिया मानल जेबाक चाही। एसएमसी द्वारा तैयार कयल गेल एसडीपी मे ई स्पष्ट होबाक चाही जे विद्यालय मे बाधारहित बुनियादी ढाँचा आ विद्यालय प्रदर्शन सुधार तथा उपस्थितिकेँ प्रोत्साहित करबा लेल आवश्यक सुविधा सब कोना उपलब्ध कयल जायत।

ii. शैक्षणिक गतिविधिसभ आधारभूत शिक्षा योग्यता आधारित शिक्षा आ शिक्षार्थीक समग्र विकास पर ध्यान केन्द्रित करैत शिक्षण परिणाम आ शिक्षाक समग्र गुणवत्तामे सुधारकेँ प्राथमिकता देत। ई गतिविधिसभ एसडीपी में एकीकृत आ निपुण भारत मिशन कौशल शिक्षा के लक्ष्यक अनुरूप हेबाक चाहि।

पहल, 10 बस्ता मुक्त दिवस (बैगलेस डेज), जाहि सँ एकटा व्यापक शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के बढ़ावा भेटत ।


iii. एसएमसी पूर्ववर्ती एसडीपीक परिणामक मानचित्रण आ आवश्यकताक पुनर्मूल्यांकनक पश्चात पूर्ववर्ती एसडीपीक समाप्तिक तीन मासक भीतर एसडीपी तैयार करत । **एसडीपी तीन वर्षीय योजना होयत जाहिमे तीन वार्षिक उप योजना शामिल होयत ।** एसडीपी में निम्नलिखित विवरणसभ होयत -

- (क) प्रत्येक वर्ष के लेल वर्गवार नामांकन के अनुमान
- (ख) तीन साल के अवधि में अतिरिक्त शिक्षक संख्या लेल आवश्यकता, जाहिमे प्रधान शिक्षक, विषय शिक्षक और अंशकालिक शिक्षक शामिल रहूताह , विद्यालयीशिक्षाक सभ स्तर लेल अलग सँ गणना सेहो कयल जायत , निर्धारित मानदंडोंक संदर्भ में ।
- (ग) तीन सालक अवधि में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा आ उपकरणक भौतिक आवश्यकता, निर्धारित मानदंड आ मानकसभक संदर्भ में गणना कयल जायत ।
- (घ) उपरोक्त (ख) आ (ग) के संबंध में तीन सालक अवधि में वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, विशेष प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करबाक लेल अतिरिक्त आवश्यकता, बच्चासभक हक जेना मुफ्त पाठ्यपुस्तक आ वर्दी, आ विद्यालयके जिम्मेदारिसभ के पूरा करबाक लेल कोनो अन्य अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकतासभ सेहो शामिल अछि ।

iv. एसडीपी पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष आ सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर कैल जाए आ वित्तीय वर्ष के अंत सँ पहिने स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कैल जाए जाहि मे एकरा तैयार कैल जाए ।

v. सब राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के सब विद्यालय/विद्यालय क्लस्टर के एसडीपी सार्वजनिक डोमेन में सेहो रहत । एस. एम. सी. विद्यालयक कार्यप्रणाली आ दिशाक निरीक्षण लेल एस. डी. पी. क उपयोग करत आ एहि योजना सभक निष्पादनमे सहायता करत । एस. डी. पी. क लेल विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त एतऽ संलग्न अछि **अनुलग्नक.-II**

vi. प्रत्येक वर्ष के उप योजना के मार्च के अंत तक वार्षिक समीक्षा कैल जाए ।



विद्यालय विकास योजना के विकास हेतु कदम

5. बैठक आ प्रक्रिया

एसएमसी के प्रभावी कार्यप्रणाली के लेल नियमित आ सुव्यवस्थित बैठक महत्वपूर्ण छैक। बैठक हर महीना मे कम सँ कम एक बेर आयोजित कैल जाय। एक कोरम के रूप मे परिभाषित कैल जाए **समिति के सदस्य** बैठक के दौरान वैध रूप से कैल जाय वाला कोनो निर्णयक लेल सेहो प्रस्तुत कयल जा सकैत अछि ।

प्रत्येक विद्यालय राज्य, जिला, या ब्लॉक स्तरीय प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, या प्रासंगिक राज्य आ केंद्र शासित प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार बैठक सेहो आयोजित करत , ई सुनिश्चित करत कि सब सदस्य समय पर नोटिस प्राप्त करत आ पूर्ण रूप से भाग लेबय में सेहो सक्षम रहत । बैठक विद्यालयके प्रगति लेल समीक्षा करत आ कोनो चुनौती के समाधान करय लेल एकटा खुलल मंचक रूप में सेहो काज करत ।

पारदर्शिता सुनिश्चित करबाक लेल सभ बैठकक कार्यवृत्त सटीक रूप सँ अभिलिखित, समिति के सदस्य द्वारा अनुमोदित, आ सार्वजनिक रूप सँ विद्यालयक नोटिस बोर्ड पर या डिजिटल रूप सँ (जतय उपलब्ध होय)सेहो प्रदर्शित कैल जाए।

विद्यालय सुधार पर फीडबैक, माता-पिता के भागीदारी, आ सहयोगात्मक कार्रवाई के बढावा लेल, अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए) के एसएमसी के कार्यप्रणाली में एकीकृत कैल जाए। विद्यालयके कार्यप्रणाली, शिक्षण-शिक्षण सामग्री के गुणवत्ता, आ बाल सुरक्षा पर सामुदायिक इनपुट के पकड़बाक लेल सेहो हर विद्यालयमें सुझाव बॉक्स या फीडबैक रजिस्टर बनाबय। एसएमसी तिमाही फीडबैक के समीक्षा करत आ बैठक के कार्यवृत्त में प्रमुख बिंदु सभ शामिल करत।

6. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण

- i. विशेष रूप सँ नामांकन उपस्थिति शैक्षणिक प्रदर्शन के संग-संग शासन निगरानी निरीक्षण स्थानीय हितधारक के नेतृत्व वाला पहल में सुधार के क्षेत्र में छात्र समर्थन बढाबय लेल एसएमसी के क्षमता के व्यवस्थित रूप सँ विकसित करबाक चाहि। एसएमसी के प्रभावी कार्यप्रणाली अपन सदस्य के ज्ञान प्रेरणा आ कौशल पर बहुत अधिक निर्भर करैत छैक। अतः नियमित क्षमता निर्माण प्रयास आ अभिविन्यास कार्यक्रम आवश्यक अछि।
- ii. समिति के गठन या पुनर्गठन के एक महीना के भीतर अधिमानतः स्थानीय क्षेत्र आ स्थानीय भाषा में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करै लेल सब एसएमसी सदस्य के लेल वार्षिक प्रशिक्षण आ अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित कैल जाए। प्रशिक्षण सामग्री स्थानीय आवश्यकता के आधार पर विषयक एकटा विस्तृत श्रृंखला के सेहो कवर कऽ सकैत अछि, जाहि में शामिल छैक :
 - (क) न्यायसंगत आ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संवर्धन सँ संबंधित प्रावधान
 - (ख) विद्यालय विकास योजना (एसडीपी) क तैयारी आ कार्यान्वयन
 - (ग) शैक्षणिक निगरानी आ विद्यालय प्रदर्शन सुधार
 - (घ) वित्तीय प्रबन्धन एवं सामाजिक लेखापरीक्षा
 - (ङ) समावेशी शिक्षा प्रथा
 - (च) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित प्रमुख प्राथमिकतासभ

- (छ) डिजिटल साक्षरता एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग
- (ज) विद्यालय सुरक्षा एवं छात्र कल्याण
- iii. टीम के सदस्य के अभिविन्यास अधिमानतः भौतिक मोड में आयोजित कैंल जाए। आवश्यकता के अनुसार बाद में ई मिश्रित मोड (ऑनलाइन आ व्यक्तिगत रूप से) दुनू में संचालित कैंल जा सकैत अछि। स्थानीय विशेषज्ञ आ शिक्षाविद, जे स्थानीय सन्दर्भकेँ नीकसँ बुझैत छथि, हुनका संलग्न करबाक चाही। सफलतापूर्वक पूरा करबाक हेतु प्रमाणपत्रक प्रावधानकेँ प्राथमिकता देल जा सकैत अछि।
- iv. राज्य आ केन्द्र शासित प्रदेश केँ राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म जेना कि राष्ट्रीय विद्यालय प्रमुख आ शिक्षक समग्र उन्नति (निष्ठा), डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा), आ स्वयंसेवा, साक्षरता गतिविधिसभ, या मिश्रित शिक्षण मॉड्यूल, रिफ्रेशर प्रशिक्षण, आ सहकर्मि के सीखय के अवसर प्रदान करै लेल प्रोत्साहित कैंल जा सकैत अछि। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा आवश्यक अद्यतन/संशोधनक संग कोनो मौजूदा मॉड्यूलक उपयोग सेहो कैंल जा सकैत अछि। वार्षिक प्रशिक्षण के अलावा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश एसएमसी सदस्य के बीच पीयर-लर्निंग या मेंटरिंग सत्र के आयोजन क सकैत अछि जहाँ अनुभवी सदस्य नव समिति के संग अच्छी प्रथा के साझा करैत छैक।

7. वित्तीय प्रबन्धन एवं सामाजिक लेखापरीक्षा

- i. पारदर्शी आ उत्तरदायी वित्तीय प्रबन्धन एसएमसी के मौलिक जिम्मेदारी छैक। अपन कार्य के निष्पादन के लेल प्राप्त सब धन एक अलग संयुक्त बैंक खाता में बनाए रखै के चाही, जे अध्यक्ष आ सदस्य सचिव के नाम पर हो, विशेष रूप सँ एसएमसी सँ संबंधित वित्त के प्रबन्धन के लेल। विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रमुख विद्यालय के खाता के उचित रखरखाव आर सब सम्बन्धित रिकॉर्ड के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार छै।
- ii. सब सिविल कार्य तक के लागत वाला ` 30 लाख एसएमसी द्वारा निष्पादित कैंल जा सकैत अछि। एसएमसी खाताक उचित रिकॉर्ड बना कए पारदर्शी योजना, खरीद आ निष्पादन सुनिश्चित कऽ सकैत अछि। खरीद प्रक्रिया में एसएमसी के माध्यम से समुदाय की भागीदारी न केवल हितधारकक बीच स्वामित्व के भावना पैदा करैत अछि, बल्कि खरीद में पारदर्शिता सेहो प्राप्त करैत अछि।
- iii. सिविल काजसँ बेसी ` नवीनतम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली के अनुसार सार्वजनिक निविदा आमंत्रित कऽ 30 लाख के निष्पादन कैंल जा सकैत अछि। आ राज्य पीडब्ल्यूडी कार्य प्रक्रिया। एसएमसी निविदा अंतिम रूप देबय लेल आ परियोजना निष्पादन के सब चरण मे भाग लऽ सकैत अछि ताकि पारदर्शिता, गुणवत्ता, आ समय पर पूर्णता सुनिश्चित भऽ सके।
- iv. एसएमसी सदस्य विद्यालयमे कैंल गेल रखरखाव आ मरम्मतक काजकेँ प्रमाणित कऽ सकैत अछि जकर तकनीकी प्रावधानक पालन करबाक आवश्यकता अछि। समुदाय के लागत मापदंड के बुझए के अधिकार के पूरा सम्मान करय के जरूरत छैक। विद्यालय/समिति स्तर पर खरीद कयल जायवला वस्तु सभक सूचक सूची निम्नलिखित अछि **अनुलग्नक.-III**

- v. कैश बुक, बैंक पासबुक, खरीद संबंधित दस्तावेज अलग रखबाक चाही। सभ वित्तीय लेनदेनकेँ एहि कैश बुकमे दर्ज करबाक चाही।
- vi. मासिक बैंक सुलह करबाक चाही आ हस्ताक्षरित विवरण रजिस्टर या कैश बुक के हिस्सा के रूप में रखबाक चाही। कैश बुक आ नंबर सँ ठीक सँ लिंक वाउचर के लेल एकटा अलग फाइल रखबाक चाही।
- vii. एसएमसी द्वारा स्टॉक रजिस्टर आ फिक्स्ड एसेट रजिस्टरक रखरखाव आ अद्यतन कैल जाय। एहि रजिस्टरक वार्षिक भौतिक सत्यापन सेहो कैल जाय।
- viii. विद्यालय निधि क कोनो समय आंतरिक विभागीय अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन होयत आ एसएमसी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वार्षिक लेखा जमा करै के लेल जिम्मेदार सेहो होयत जाहि में बिना आज्ञा कोनो अनुदानक अनुमति नहि होयत।
- ix. लेखापरीक्षा के दौरान ई रिकॉर्ड उपलब्ध होअबबाक चाही। लेखा पर एसएमसी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष आ संयोजक सदस्य सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षर कैल जाएत आ स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कैल जाएत या एकर तैयारी के एक महीना के भीतर विद्यालयके नोटिस बोर्ड पर एकरा प्रदर्शित सेहो कयल जाएत।
- x. विद्यालयीआधारभूत संरचना, समग्र विद्यालय अनुदान, आ निःशुल्क बाल संसाधन जेना पाठ्यपुस्तक, वर्दी, आ छात्रवृत्ति लेल आवंटित अनुदानक उपयोग समग्र शिक्षा योजना के स्वीकृत मानदंडक अनुसार सख्ती सँ एसएमसी के सहयोग सँ कयल जाएत।
- xi. पारदर्शिताकेँ सुदृढ़ करबाक हेतु एसएमसी अधिमानतः एकर रखरखाव कऽ सकैत अछि। **आय आ व्यय के डिजिटल रिकॉर्ड** वित्तीय अभिलेख, बैठक के कार्यवृत्त, आ लेखापरीक्षा सारांश विद्यालयनोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कैल जा सकैत अछि।
- xii. पारदर्शिता आ जवाबदेहीकेँ आगू बढ़बबाक हेतु एसएमसीकेँ प्रोत्साहित कयल जाइत अछि। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष मे कम सँ कम एक बेर सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी 'समग्र शिक्षा के सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए दिशानिर्देश' के पालन करैत शिक्षा (https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Guidelines_for_Social_Audit_of_Samagra_Shiksha_scheme.pdf)

8. मंत्रालय/विभागक संग समन्वय क माध्यम सँ संसाधनक लाभ उठायब

संसाधनक कुशल उपयोग सुनिश्चित करबा आ प्रयासक दोहराव सँ बचबाक लेल एसएमसी अन्य सरकारी विभाग सब आ स्थानीय निकाय सबहक संग समन्वय कय केँ विद्यालयक गतिविधक योजना बना कय ओकरा लागू कय सकैत अछि। ई समन्वय 'होल-ऑफ-गवर्नमेंट' (संपूर्ण सरकार) दृष्टिकोणक अंतर्गत छात्रक प्रदर्शन, विद्यालयक बुनियादी ढाँचा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल आ सामुदायिक पहल केँ मजबूत करबा मे मदति करत। विभाग आ गतिविधिक सूचक सूचीमे सम्मिलित अछि:

i. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- (क) स्वास्थ्य आ कल्याण राजदूत के रूप में शिक्षक के समर्थन के द्वारा विद्यालयस्वास्थ्य कार्यक्रम (एसएचपी) के लागू करय ।
- (ख) मासिक धर्म स्वच्छता योजना (एमएचएस) के माध्यम सँ स्वच्छता के बढ़ावा देना-स्वच्छता उत्पाद आ निपटान सुविधा तक पहुँच सुनिश्चित करनाय ।
- (ग) स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी के सहयोग सँ वार्षिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य आ पोषण शिविर के आयोजन करू ।
- (घ) तम्बाकू मुक्त शिक्षा संस्थान दिशानिर्देश के कार्यान्वयन हेतु
- (ङ) कमजोर समूह, विशेष रूप से किशोरावस्था के करीब पहुँचय वाली लड़की सभ पर विशेष ध्यान देबय के संग डी-वर्मिंग और सूक्ष्म पोषक तत्व पूरक सहित विद्यालयस्वास्थ्य कार्यक्रम ।

ii. ग्राम विकास विभाग

विद्यालय के बुनियादी ढाँचा आ बाला विशेषता के सुदृढीकरण के लेल कोनो निर्माण आवश्यकता के लेल रोजगार आ आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी-जी आरएएमजी) निधि के गारंटी के उपयोग के सुविधा प्रदान करत ।

iii. शहरी विकास विभाग

एसएमसी कायाकल्प आ शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन (अमृत) सन योजना के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) जेना नगर निगम आ नगर पंचायत सँ सहायता प्राप्त कऽ सकैत अछि ।⁵ स्वच्छ भारत मिशन ⁶).

iv. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

- (क) स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) क अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय आ हाथ धोबाक स्टेशनक रखरखाव ।
- (ख) मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एम. एच. एम.) क माध्यम सँ मासिक धर्म स्वच्छता आ सुरक्षित निपटान प्रथा के बढ़ावा देनाय ।
- (ग) जल जीवन मिशन जेजेएम के माध्यम सँ विद्यालयमे सुरक्षित आ पर्याप्त पेय जल सुविधा तक पहुँच सुनिश्चित करनाय

v. महिला एवं बाल विकास विभाग

- (क) बाल संरक्षण सेवा (सी. पी. एस.) क माध्यम सँ सुरक्षित स्थान आ रेफरल प्रणाली बनाउ ।
- (ख) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एस. सी. पी. सी. आर.) के संग घनिष्ठ सहयोग सुनिश्चित करै लेल जे बच्चाकेँ आर. टी. ई. अधिनियमक अन्तर्गत अपन अधिकार भेटय ।
- (ग) आंगनवाड़ी केंद्र आ विद्यालय के संग समन्वय में सुधार

⁵ अमृत योजना के तहत यूएलबी जल आपूर्ति, सीवरेज प्रणाली, हरित स्थान, शौचालय सुविधा, खेल के मैदान, आ बेहतर परिवहन संपर्क सहित आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करैत अछि ।

⁶ स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्रमे प्रभावी ग्रेवाटर आ ब्लैकवाटर हैंडलिंगक संग वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधनक माध्यम सँ “कचरा मुक्त” विद्यालयपरिसरकेँ सक्षम बनाबैत अछि ।

vi. कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग

- (क) कौशल विकास गतिविधिक लेल समन्वय ।
- (ख) स्थानीय उद्योगक आवश्यकताक अनुरूप कैरियरक मार्ग दिस छालक मार्गदर्शन करू ।

vii. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

- (क) सीडब्ल्यूएसएन छालक लेल दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) क प्रयोग करू ।
- (ख) योग्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ. बी. सी.) छालक पहचान आ आवेदनक सहायता कs वाइब्रेंट इंडिया (पी. एम.-यससवी) छालवृत्ति हेतु प्रधान मंत्री युवा अचीवर्स छालवृत्ति पुरस्कार योजना के बढ़ावा देनाय ।
- (ग) विशेष आवश्यकता वाला बच्चा के मुख्यधारा के शिक्षा के लेल तैयार करै लेल प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम के समर्थन करू ।
- (घ) नशा मुक्त विद्यालय सुनिश्चित करबाक हेतु समर्थन ।

viii. युवा मामिला तथा खेल विभाग

- (क) खेलो इंडिया पहलक अन्तर्गत विद्यालय स्तरीय खेल आयोजनक आयोजन करू ।
- (ख) राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रमक उपयोग करैत खेल अवसंरचनाक उन्नयन ।
- (ग) सहभागिताकेँ प्रोत्साहित करूरचनात्मकता आ टीम वर्क के बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विद्यालयबैंड प्रतियोगिता में भाग लेनाय ।
- (घ) विद्यालयीबच्चासभ लेल सार्वजनिक खेल सुविधासभक उपयोग ।
- (ङ) विभिन्न खेलक प्रशिक्षक आ विशेषज्ञक सहयोग प्राप्त करू आ योग प्रशिक्षकक व्यवस्था करू ।

ix. विधि एवं न्याय विभाग

- (क) पॉक्सो अधिनियम सहित बाल संरक्षण कानूनक अनुपालन सुनिश्चित करू ।
- (ख) छात्र, अभिभावक आ कर्मचारीगणक लेल विधिक साक्षरता सत्र आयोजित करनाय ।
- (ग) बदमाशी, दुर्व्यवहार, आ शारीरिक दंडक लेल स्पष्ट रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करू ।

x. गृह विभाग

- (क) बाल संरक्षण कानून के लागू करै लेल स्थानीय पुलिस के संग सहयोग करू ।
- (ख) सुरक्षा लेखापरीक्षा आ आपातकालीन तैयारी अभ्यास आयोजित करू ।
- (ग) सुनिश्चित करू जे कर्मचारीसभकेँ पॉक्सो अधिनियमक अन्तर्गत घटनासभसँ निपटबाक लेल प्रशिक्षित कयल जाए ।

xi. पंचायती राज विभाग

- (क) विद्यालय सुधार परियोजना के लेल सामुदायिक स्वयंसेवकेँ जुटाऊ ।
- (ख) ग्रामीण आ शहरी दुनू क्षेत्रमे विद्यालय-सामुदायिक संलग्नक सुदृढीकरण ।

- (ग) पंचायती राज संस्थान के पास विद्यालय/संस्थान के लेल उपलब्ध कोनो संसाधन के उचित रूप सँ उपयोग के सुनिश्चित करु ।
- (घ) तिथी भोजनक संचालन करु ।

9. एसएमसी के निगरानी आ समर्थन

एसएमसी के निगरानी आ समर्थन के एकटा प्रणाली बनेबाक चाही। ब्लॉक आ जिला शिक्षा अधिकारी के साल मे दू बेर सरल चेकलिस्ट के उपयोग कऽ एसएमसी के प्रदर्शन के समीक्षा करबाक चाही। दंडात्मक उपायक बजाय प्रदर्शनमे सुधार लेल निकटवर्ती विद्यालयसभक बीच सहायक पर्यवेक्षण आ सहकर्मि-अध्ययनकेँ प्रोत्साहित करबाक चाही। एसएमसी के कार्यप्रणाली के मापने के लेल बैठक रजिस्टर के पहिल पृष्ठ पर सरल प्रदर्शन संकेतक के संग एकटा जाँच सूची होयबाक चाही जेना कि आयोजित बैठक के संख्या उपस्थिति प्रतिशत निर्णय लेल गेल, निधि उपयोग आदि के वार्षिक रूप सँ ट्रैक कैल जा सकय। विद्यालयएसएमसी बैठक वर्चुअल या हाइब्रिड मोड में आयोजित कऽ सकैत अछि जखन भौतिक बैठक संभव नै हो वाट्सएप या गूगल मीट सन उपकरणक उपयोग करैत। एसएमसी मासिक बैठक मे फीडबैक बॉक्स के माध्यम सँ प्राप्त फीडबैक पर चर्चा कऽ सकैत अछि। चुनाव या कार्यप्रणाली के दौरान विवाद खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) या कोनो अन्य नामित प्राधिकारी द्वारा सँभालल जा सकैत अछि।

10. निष्कर्ष

विद्यालय के जीवंत शिक्षण के पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव के आवश्यकता अछि, सामूहिक स्वामित्व के संग एसएमसी सामुदायिक भागीदारी हेतु प्राथमिक संस्थागत मंच के रूप में सेवा प्रदान करै वाला। सामुदायिक सहभागिता प्रतीकात्मक समर्थनसँ परे बढ़बाक चाही संरचित, निरंतर आ प्रणालीगत सहभागिता माता - पिता, पूर्व छात्र, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज संगठन (सीएसओ), कॉर्पोरेट, आ नागरिक योगदान कऽ सकैत छथि परस्पर सम्बन्धित मार्गएसएमसी के माध्यम सँ समन्वय, शिक्षा वितरण, समानता, आ जवाबदेही के मजबूत करै लेल।



विद्यालय के सुदृढीकरण के लेल शिक्षा के मात्र के रूप मे देखने सँ बदलाव के आवश्यकता छैक सरकार के दायित्व के रूप में मान्यता समाजक साझा मिशन विद्यालय के रूप में व्यवहार सेहो करबाक चाहि, सामुदायिक सम्पत्ति - समावेशी, पोषण स्थान जे सभ के हो। एसएमसी के माध्यम सँ माता पिता पूर्व छात्र स्थानीय नेता स्वयंसेवक आर निजी भागीदार सहित हर हितधारक अगिला पीढ़ी के आकार देबय मे सार्थक भूमिका निभा सकैत अछि। जखन समुदाय के रूप में कार्य करैत अछि, लोक शिक्षा के संरक्षक सशक्त एसएमसी के माध्यम सँ सुधार स्थानीय स्वामित्व वाला उत्तरदायी आ टिकाऊ भऽ जाय छैक।

देश भरि के विद्यालयसेवा प्रदान करैत अछि करोड़ों बच्चा, हुनका अवसर, गरिमा, आ समानता प्रदान

करैत अछि, आ एकर प्रमुख स्तंभ बनल रहैत अछि राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक एकताएसएमसी के नेतृत्व में स्वयंसेवा, मार्गदर्शन, नवाचार, संसाधन जुटान, आ सहभागी शासन के माध्यम सँ समुदाय अर्थपूर्ण रूप सँ एहि संस्थान के मजबूत कऽ सकैत अछि। आगे बढ़िकऽ एनईपी 2020 के दृष्टिकोण “सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा” एसएमसी के माध्यम सँ समुदाय संचालित स्वामित्व के बढ़ावा देने के माध्यम सँ भारत अपन विद्यालयके समावेशी, गतिशील आ राष्ट्र निर्माण केन्द्र अध्ययन.

एसएमसी क खण्ड-3 भूमिका आ उत्तरदायित्वक अतिरिक्त, एसएमसी निम्नलिखित गतिविधिसभ के निष्पादन या निगरानी सेहो कऽ सकैत अछि ।

- ◆ स्वच्छ, सुरक्षित, कलात्मक रूप से पालन-पोषण प्रदान करे एवं नैतिक वातावरण ।
- ◆ सभा सन दैनिक दिनचर्या के पालन कैल जायत छैक ।
- ◆ सुनिश्चित करू कि वंचित शिक्षार्थीक लेल उपचारात्मक कक्षा, अध्ययनक स्थान सन प्रणाली उपलब्ध होय ।
- ◆ शिक्षणमे प्रासंगिक नवप्रवर्तन (क्षेत्र विशिष्ट) केँ प्रोत्साहित आ सुविधा प्रदान करय ।
- ◆ शिक्षण-शिक्षण संसाधन तक पहुँच के लेल समर्थन ।
- ◆ भारतीय परम्परामे निहित प्रदर्शन आ गतिविधिसभकेँ प्रोत्साहित करब ।
- ◆ सुनिश्चित करब जे स्वच्छता, समावेशिता, सम्मान, अनुशासन, सहानुभूति जेहन मूल्य दिनचर्या के माध्यम सँ जिबय ।
- ◆ अभिभावक-शिक्षक-सामुदायिक संवाद के नियमित आयोजन मे सहायता ।
- ◆ शिक्षकक व्यावसायिक गरिमा के रक्षा करू ।
- ◆ सामुदायिक सहयोग के माध्यम सँ शिक्षक के समर्थन करू ।
- ◆ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों के समावेश का समर्थन करू ।
- ◆ लैंगिक आ सामाजिक समानता सुनिश्चित करब ।
- ◆ प्रत्येक बच्चासभक भावनात्मक सुरक्षा आ गरिमा सुनिश्चित करब ।

विद्यालय विकास योजना के लेल विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्तः

विद्यालय के परिकल्पना एकटा समावेशी आ शैक्षणिक रूप से समृद्ध, टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कैल गेल छै, खतरे से सुरक्षित, हरित भवन मानदंड के तत्व को शामिल करैत अछि, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप सँ टिकाऊ प्रथा के माध्यम सँ इष्टतम संसाधनक उपयोग। विद्यालय विकास योजना हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त निम्नलिखित अछि

- ◆ शिक्षा योजना के पालन करै लेल बुनियादी ढाँचाक योजना।
- ◆ बच्चासभक समग्र विकास (शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक आ संज्ञानात्मक) के संग बाल केंद्रित योजना पर ध्यान देल जाए।
- ◆ सभ बच्चाक आवश्यकता आ विद्यालयमे आनयवला विविधताक प्रति उत्तरदायी।
- ◆ पूरा विद्यालयक स्थान (इनडोर आ आउटडोर) बच्चा आ शिक्षकक लेल शिक्षण निरंतरताक रूपमे, एकरा योजना बनाबै समय सभ हितधारक द्वारा मान्यता देबाक अछि।
- ◆ बाला के विचार के उपयोग कऽ पूरा विद्यालयके स्थान के मनोरंजन आ सीखने के गतिविधि के संसाधन के रूप में विकसित करनाय।
- ◆ सब बच्चाक लेल सुरक्षित वातावरण। सब बच्चा लेल स्वच्छ आ स्वच्छ वातावरण।
- ◆ सम्पूर्ण विद्यालय के एकटा संसाधन के रूप में अधिकतम बनेनाई न केवल ओहि विद्यालय के बच्चा आर शिक्षक के लेल बल्कि सामुदायिक आर पड़ोस के विद्यालय के लेल सेहो।
- ◆ स्थानीय संदर्भ आ परम्परा-ज्ञान, सामाजिक आवश्यकता, शैक्षिक आवश्यकता, संस्कृति, भूविज्ञान, जलवायु, वनस्पति-जीव आदि के प्रति सम्मान।
- ◆ अधिकतम संसाधन उपयोग एवं लागत प्रभावशीलता।
- ◆ पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ डिजाइन में अच्छी प्रथाओं को एकीकृत करैत अछि -उनका सभ के प्रदर्शित करबाक आ अभ्यास सेहो करबाक।
- ◆ विद्यालय परिसरक समग्र विकास हेतु उपयोगकर्ता अनुकूल नव प्रौद्योगिकी अपनैबाक।
- ◆ जलग्रहण क्षेत्र में जनसंख्या के रुझान के अनुरूप समग्र योजना बनेबाक।
- ◆ भविष्यक विस्तारक अवसर।

विद्यालय के योजना आ डिजाइन आ निर्माण मे सेहो ई सुनिश्चित कैल जाए कि पर्यावरण, स्वास्थ्य आ सुरक्षा प्रथा के मजबूत करै के उपाय (i) विद्यालयसुरक्षा आ सुरक्षा पर दिशानिर्देश, 2021 शिक्षा मंत्रालय, (ii) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जारी विद्यालयसुरक्षा नीति, 2016 आ (iii) समय-समय पर वैधानिक प्राधिकरण के राज्य आ स्थानीय उपनियम में निहित दिशानिर्देश के अनुसार शामिल रहें।

परिशिष्ट III

विद्यालय/ समिति स्तर में खरीदल जाय वाला सूचक वस्तु सभक सूची :

- ◆ वर्दी
- ◆ विद्यालय आ संलग्न छात्रावास भवनमे सभ सिविल कार्य ।
- ◆ फर्नीचर
- ◆ शिक्षण शिक्षण सामग्री (टी. एल. एम.) आ पाठ्यपुस्तक ।
- ◆ विद्यालय अनुदानसँ विद्यालयक सुधार हेतु विद्यालय उपकरण आ अन्य वस्तु ।
- ◆ रखरखाव अनुदान से विद्यालय भवन के रखरखाव ।
- ◆ मरम्मतक अनुदानसँ विद्यालय भवनक मरम्मत ।
- ◆ लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम (एलईपी) के तहत आवश्यक अतिरिक्त शिक्षण शिक्षण सामग्री आ अन्य आइटमसभ
- ◆ प्रयोगशाला उपकरण

